न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढी (राज0)

पीठासीन अधिकारी: अतुल प्रकाश, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 19/2016

उनवान

(1) लक्ष्मण पिता कचरू लोहार जाति लोहार निवासी परतापुर तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(2) शान्तिलाल पिता कचरू लोहार जाति लोहार निवासी परतापुर तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(3) पवन पिता तुलसीराम लोहार जाति लोहार निवासी परतापुर तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(4) विजय कुमार पिता तुलसीराम लोहार जाति लोहार निवासी परतापुर तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(5) संगीता बेवा मणिलाल लोहार जाति लोहार निवासी परतापुर तहसील गढी जिला बांसवाडा।

—: वादीगण

बनाम

(1) प्रबन्धक राजस्थान उद्योग कॉर्पोरेशन (RIICO) बांसवाडा।
(2) प्रबन्धक राजस्थान उद्योग कॉर्पोरेशन (RIICO) परतापुर जिला बांसवाडा।
(3) प्रबन्धक राजस्थान आवासन मण्डल हाऊसिंग बोर्ड परतापुर (बांसवाडा)।
(4) तहसीलदार साहब गढी तहसील गढी जिला बांसवाडा।

—: प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक: 18.3.2021

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि यह कि वादी के आधिपत्य एवं स्वामित्व का आराजी सर्वे नम्बर 1178/1 रकबा 0.07, 7046/954 रकबा 0.11 एयर, खाता संख्या 521 पुराना 398 नया के आराजी नम्बर 1178/2 रकबा 0.07 एयर, खाता संख्या 596 पुराना 453 तथा 1182 रकबा 0.07, खाता संख्या 308 पुराना 159 वाके गांव ग्राम भगोरा तहसील गढी जिला बांसवाडा (राजस्थान) मे स्थित है। वर्ष 1992 मे गांव भगोरा पटवार हल्का भगोरा तहसील गढी में त्व्क प्रति वादीगण 1 व 2 द्वारा औद्योगिक प्रयोजनार्थ भुमि अवाप्त की गई थी। जिसमें वादीगण के उक्त नम्बरान की भुमि भी अवाप्त सुची मे दर्ज की गई थी परन्तु उक्त भुमि का प्रतिवादीगण द्वारा आज तक कब्जा नही लिया गया न ही वादीगण द्वारा उक्त भुमि का कभी मुआवजा प्राप्त किया गया। जिस वजह से राजस्व रेकार्ड में आज तक भुमि वादीगण के नाम दर्ज हो वादीगण इस का उपयोग एवं उपभोग करते चले आ रहे है एवं राज्य सरकार में नियमानुसार लगान अदा करते चले आ रहे है। वादीगण की उक्त भुमि पर प्रतिवादीगण का कोई हक व अधिकार नही परन्तु आज से करीब 8 रोज पुर्व प्रतिवादी संख्या 3 ने आकर वादीगण को भुमि का कब्जा छोडने धमकी दी जिस पर वादीगण द्वारा पूछने पर प्रतिवादी संख्या 3 ने बातया की उक्त भुमि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 द्वारा प्रतिवादी सं. 3 को किमतन विक्रय की गई है और यह जमीन अब प्रतिवादी संख्या 3 की है। वादीगण की उक्त भुमि जो अवाप्त सुची में दर्ज थी लेकिन भुमि अर्जुन पुनर्वासन और पुनव्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधि नियम 2013 की धारा 24 एवं अधिनियम 1984 की धारा 11 के अन्तर्गत अवार्ड पारित हुए 5 वर्ष से अधिक की अवधि बित चुकी होने पर कब्जा नहीं लिया गया है या मुआवजा नही दिया गया है तो ऐसे मामले स्वतः व्यवगत [illegible] ले में प्रतिवादीगण का वादीगण की भुमि पर कोई हक व अधिकार नही है तथा [illegible] भुमि को अन्यत्र हस्तान्तरण [illegible] गैरकानुनी ढंग अथवा अतिक्रमण करने का प्रतिवादीगण को [illegible] पना चाहते है। वादीगण [illegible] से वादीगण से उक्त भुमि राजकीय एवं [illegible] काश्तकार है। उनकी भुमि का आज बाजार मुल्य करोडो में है जि[illegible] वजह से प्रतिवादीगण संख्या 3 गैरकानुनी ढंग से वादीगण से भुमि हडपना चाहते है। जिन्हे [illegible] रिये स्थाई निषेधाज्ञा रोका [illegible] आवश्यक है। इस हेतु वाद हस्व धारा 188 रा.का.अ. के तहत पेश हुआ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.04.16 14:24:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के नाम सम्मन जारी किये जाने पर राजस्थान आवासन मण्डल की ओर से श्री विरेन्द्र सिंह राव एवं रिको की ओर से श्री राजेन्द्र शुक्ला अभिभाषक के वकालातनामें पेश होकर जवाब पेश हुआ। रिको की ओर से प्रस्तुत जवाब में कथन किया गया कि ग्राम भगोरा के सर्वे नम्बर 1178 रकबा 0.14 हे0, सर्वे नम्बर 1182 रकबा 0.07 हे0 भूमि वादीगण की संयुक्त खातेदारी की होकर रीको के द्वारा अवाप्त की जाकर वादीगण को मुआवजा राशि का चैक संख्या 130399 दिया गया। राजस्थान आवासन मण्डल की ओर से जवाब में कथन किया गया कि रीको द्वारा नियमानुसार भूमि अवाप्ति की कार्यवाही पूर्ण कर वादग्रस्त भूमि आवासन मण्डल के पक्ष में स्थानान्तरति की गई है। प्रकरण में निम्नानुसार तनकियात कायम की गई–

(1) आया वादग्रस्त भूमि वर्ष 1992 में अवाप्ति के बाद न तो प्रतिवादी द्वारा कब्जा लिया गया न ही वादी द्वारा मुआवजा प्राप्त किये जाने से जमाबन्दी में वादी का नाम तथा मौके पर कब्जा होने से वादी स्थायी निशेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

–: वादी

(2) आया वादग्रस्त भूमि के भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अधिग्रहण, निरस्त किये जाने से वादी स्थायी निषेधाज्ञा को प्राप्त करने का अधिकारी है।

–: वादी

(3) आया वादग्रस्त भूमि पर आवासन मण्डल द्वारा मौके पर कब्जा प्राप्त होने से वाद काबिल निरस्ती है।

–: प्रतिवादी

(4) अनुतोषः–

प्रकरण में बकुलाय की बहस सुनी जाकर कायम की गई तनकियात निम्नानुसार निर्णित की गई:–

तनकी संख्या 01 को सिद्ध करने का भार वादीगण का था, वादीगण की ओर से अपने वाद के समर्थन में प्रस्तुत मौजा भगोरा की खाता संख्या 521 (नई) 398 (पुरानी) की जमाबन्दी संवत 2068 से 2071 अनुसार सर्वे नम्बर 1178/1 रकबा 0.07 हे0 भूमि लक्ष्मण पिता कचरू लोहार के नाम दर्ज रिकार्ड होकर भूमि अवाप्ति अधिकारी, बांसवाड़ा के पत्रांक राज./2015/143–144 दिनांक 01.4.2015 क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको लि0 बांसवाड़ा के नाम जारी कर अवार्ड संख्या 39 को भूमि अवाप्ति का प्रकरण स्वतः व्यपगत हो जाने से निरस्त किया जाकर यदि भू–अर्जन आवश्यक है तो अधिनियम 2013 के अन्तर्गत नये सिरे से भू–अर्जन की कार्यवाही कराने निर्देशित किया गया है। अतः उक्त तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 02 को सिद्ध करने का भार वादीगण का था, भूमि अवाप्ति अधिकारी, बांसवाड़ा के पत्रांक राज./2015/143–144 दिनांक 01.4.2015 क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको लि0 बांसवाड़ा के नाम जारी कर अवार्ड संख्या 39 को भूमि अवाप्ति का प्रकरण स्वतः व्यपगत हो जाने से निरस्त किया जाकर यदि भू–अर्जन आवश्यक है तो अधिनियम 2013 के अन्तर्गत नये सिरे से भू–अर्जन की कार्यवाही कराने निर्देशित किया गया है। अतः उक्त तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 03 को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण का था, भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा भू–अर्जन की कार्यवाही व्यपगत की जाने तहसीलदार, गढी की रिपोर्ट अनुसार खातेदारान् द्वारा भू–उपयोग किया जाने से उक्त तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

दौराने कार्यवाही प्रकरण में वादी अभिभाषक द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर सर्वे नम्बर 955, 1152, 1024 की भूमि ही अवाप्ति में होने का कथन करते हुऐ फर्द दस्तावेज पेश किये गये। जिनका अवलोकन करने पर करने पर पटवार हल्का ... द्वारा अवाप्त की गई भूमि की सूची की कम संख्या 01 से 116 की प्रविष्ठियों में ... श्री तुलसीराम, कचरू के सर्वे नम्बर 955, 1152, 1024 की भूमि अवाप्त ... की खाता संख्या 870 (नई) 842 (पुरानी) जमाबन्दी संवत 2075 से ... 11 हे0, सर्वे नम्बर 1152 रकबा 0.18 हे0, सर्वे नम्बर 955 रकबा ... खातेदारी में दर्ज होना पाया गया। भूमिधारी तहसीलदार, गढी कि रिपोर्ट जी जाने पर मुताबिक रिपोर्ट सर्वे नम्बर 1178/1 रकबा 0.07 हे0 भूमि श्री लक्ष्मण पिता कचरू लोहार तथा सर्वे नम्बर 1178/2 रकबा 0.07 हे0 भूमि श्री शान्तिलाल पिता कचरू लोहार तथा सर्वे नम्बर 1182 रकबा 0.07 हे0 भूमि श्री पवन कुमार, विजय

Signature Not Verified
Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.04.16 14:24:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

कुमार पिता तुलसीराम वगैराह के नाम खातेदारी में दर्ज होकर उक्त भूमि का प्रार्थीगण के कथन अनुसार मुआवजा प्राप्त नही होना अवगत कराया।

वाद के समर्थन में प्रस्तुत भूमि अवाप्ति अधिकारी, बांसवाड़ा के पत्रांक: राज. /2015/143–144 दिनांक 01.4.2015 क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको लि0 बांसवाड़ा के नाम जारी कर अवार्ड संख्या 39 को भूमि अवाप्ति का प्रकरण स्वत: व्यपगत हो जाने से निरस्त किया जाकर यदि भू–अर्जन आवश्यक है तो अधिनियम 2013 के अन्तर्गत नये सिरे से भू–अर्जन की कार्यवाही कराने निर्देशित किया गया है।

प्रकरण में बकुलाय की बहस सुनी गई। बहस पर मनन् करने तथा वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद, मौजा भगोरा की खाता संख्या 521 (नई) 398 (पुरानी) की जमाबन्दी संवत 2068 से 2071, मौजा भगोरा की खाता संख्या 596 (नई) 453 (पुरानी) की जमाबन्दी संवत 2068 से 2071, मौजा भगोरा की खाता संख्या 308 (नई) 159 (पुरानी) की जमाबन्दी संवत 2068 से 2071, अवार्ड संख्या 39 के आदेश की प्रति, भूमि अवाप्ति अधिकारी, बांसवाड़ा का पत्रांक: 143–144 दिनांक 01.4.2015, मौजा भगोरा की खाता संख्या 870 (नई) 842 (पुरानी) जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 का संक्षिप्त अवलोकन करने पर पाया गया कि मौजा भगोरा की खाता संख्या 521 (नई) 398 (पुरानी) की जमाबन्दी संवत 2068 से 2071 अनुसार सर्वे नम्बर 1178/1 रकबा 0.07 हे0 भूमि लक्ष्मण पिता कचरू लोहार तथा मौजा भगोरा की खाता संख्या 596 (नई) 453 (पुरानी) की जमाबन्दी संवत 2068 से 2071 अनुसार सर्वे नम्बर 1178/2 रकबा 0.07 हे0 भूमि शान्तिलाल पिता कचरू लुहार एंव मौजा भगोरा की खाता संख्या 308 (नई) 159 (पुरानी) की जमाबन्दी संवत 2068 से 2071 अनुसार पवन कुमार–विजयकुमार पिता तुलसीराम व मितकुमार पिता मणीलाल ना.बा.स.प. माता संगीता पत्नि स्व0 श्री मणीलाल के नाम दर्ज रिकार्ड होकर उक्त भूमि के वादीगण खातेदार है। वादीगण की उक्त खातेदारी कृषि भूमि पूर्व में रीको के नाम अवाप्त होकर बाद में रीको की अवाप्ति से मुक्त की जाने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित है।

अत: वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर प्रकरण में स्थाई निषेधाज्ञा जारी कि जाकर प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाता हैं कि मौजा मौजा भगोरा की खाता संख्या 521 (नई) 398 (पुरानी) की जमाबन्दी संवत 2068 से 2071 में दर्ज सर्वे नम्बर 1178/1 रकबा 0.07 हे0, खाता संख्या 596 (नई) 453 (पुरानी) की जमाबन्दी संवत 2068 से 2071 में दर्ज सर्वे नम्बर 1178/2 रकबा 0.07 हे0, खाता संख्या 308 (नई) 159 (पुरानी) की जमाबन्दी संवत 2068 से 2071 में दर्ज सर्वे नम्बर 1182 रकबा 0.07 हे0 भूमि में किसी प्रकार का अनुचित कार्य, अतिक्रमण, हस्तान्तरण, निर्माण नही करें एंव न ही किसी अन्य से कोई ऐसा कृत्य करावें जिससे वादीगण को अपनी खातेदारी भूमि में व्यवधान पैदा होवे।

(अतुल प्रकाश)IAS
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

आदेश

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर प्रकरण में स्थाई निषेधाज्ञा जारी कि जाकर प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाता हैं कि मौजा मौजा भगोरा की खाता संख्या 521 (नई) 398 (पुरानी) की जमाबन्दी संवत 2068 से 2071 में दर्ज सर्वे नम्बर 1178/1 रकबा 0.07 हे0, खाता संख्या 596 (नई) 453 (पुरानी) की जमाबन्दी संवत 2068 से 2071 में दर्ज सर्वे नम्बर 1178/2 रकबा 0.07 हे0, खाता संख्या 308 (नई) 159 (पुरानी) की जमाबन्दी संवत 2068 से 2071 में दर्ज सर्वे नम्बर 1182 रकबा 0.07 हे0 भूमि में किसी प्रकार का अनुचित कार्य, अतिक्रमण, हस्तान्तरण, निर्माण नही करें एंव न ही किसी अन्य से कोई ऐसा कृत्य करावें जिससे वादीगण को अपनी खातेदारी भूमि में व्यवधान पैदा होवे। इस आशय की डिक्री पृथक से जारी की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 18.3.2021 को जारी किया

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.04.16 14:24:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिक्री व मुकदमे की इब्तजाई

(आ. 20 नियम 17 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : गढी व इजलास : अतुल प्रकाश (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 19/2016

उनवान

(1) लक्ष्मण पिता कचरू लोहार जाति लोहार निवासी परतापुर तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(2) शान्तिलाल पिता कचरू लोहार जाति लोहार निवासी परतापुर तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(3) पवन पिता तुलसीराम लोहार जाति लोहार निवासी परतापुर तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(4) विजय कुमार पिता तुलसीराम लोहार जाति लोहार निवासी परतापुर तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(5) संगीता बेवा मणिलाल लोहार जाति लोहार निवासी परतापुर तहसील गढी जिला बांसवाडा।

—: वादीगण

बनाम

(1) प्रबन्धक राजस्थान उद्योग कॉर्पोरेशन (RIICO) बांसवाडा।
(2) प्रबन्धक राजस्थान उद्योग कॉर्पोरेशन (RIICO) परतापुर जिला बांसवाडा।
(3) प्रबन्धक राजस्थान आवासन मण्डल हाऊसिंग बोर्ड परतापुर (बांसवाडा)।
(4) तहसीलदार साहब गढी तहसील गढी जिला बांसवाडा।

—: प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 18.3.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वादी अभिभाषक पेश होकर हुक्म दिया जाता हैं कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर प्रकरण में स्थाई, निषेधाज्ञा जारी कि जाकर प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाता हैं कि मौजा मौजा भगोरा की खाता संख्या 521 (नई) 398 (पुरानी) की जमाबन्दी संवत 2068 से 2071 में दर्ज सर्वे नम्बर 1178/1 रकबा 0.07 हे0, खाता संख्या 596 (नई) 453 (पुरानी) की जमाबन्दी संवत 2068 से 2071 में दर्ज सर्वे नम्बर 1178/2 रकबा 0.07 हे0, खाता संख्या 308 (नई) 159 (पुरानी) की जमाबन्दी संवत 2068 से 2071 में दर्ज सर्वे नम्बर 1182 रकबा 0.07 हे0 भूमि में किसी प्रकार का अनुचित कार्य, अतिक्रमण, हस्तान्तरण, निर्माण नही करें एंव न ही किसी अन्य से कोई ऐसा कृत्य करावें जिससे वादीगण को अपनी खातेदारी भूमि में व्यवधान पैदा होवे। इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

नोज शून्य मुबलिग शून्य बाबत् शून्य खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह शून्य प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक शून्य का अदा करे।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर एवं मोहरें अदालत के आज दिनांक 18.3.2021 को जारी की गई।

(अतुल प्रकाश)IAS
उपखण्ड अधिकारी
गढी

मुदई	रूपया पैसा	मुद्दवायलह	रूपया पैसा
स्टाप की अरजी दावा	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	[illegible]	शून्य
स्टाम्प वहज सबुत	शून्य	[illegible]	शून्य
मेहनतनामा वकील	शून्य	[illegible]	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	[illegible]	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	[illegible]	शून्य
बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	मुतफरीक	शून्य
मुतफरीक	शून्य		
कुल	शून्य	कुल	शून्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.04.16 14:24:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, गढी

Scanned by CamScanner